

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक सामिलित प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary <i>Published by Authority</i>
कार्तिक 20, सोमवार, शाके 1941–नवम्बर 11, 2019 <i>Kartika 20 Monday, Saka 1941–November 11, 2019</i>		

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिये टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

कार्यालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज0 जयपुर,
विज्ञप्ति

(आवश्यक सूचनायें)

जयपुर, अक्टूबर, 21, 2019

संख्या मुद्रण/4(96)/03/पार्ट-1 ई गजट 5269:— सर्वसाधारण को एवं निजी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 1503–14/मुद्रण/4(96)/03/पार्ट-1/ई—गजट दिनांक 19.03.2019 के द्वारा राजस्थान राजपत्रों का ई—गजट में प्रकाशन के निर्णयान्तर्गत इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या 331/राजपत्र/1 /2005 दिनांक 04.03.2005 जिसका प्रकाशन असाधारण राजपत्र भाग 7 दिनांक 04.03.2005 में किया गया है को प्रत्याहारित करते हुए सर्वसाधारण, निजी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के लिये साधारण एवं असाधारण राजपत्रों के ई—गजट प्रकाशन का शुल्क वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

- | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|
| 1.असाधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ | 2100.00 रुपये | अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के लिये |
| 2.साधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ | 1050.00 रुपये | निजी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के लिये |
| आगामी वर्षों 2020–21 से इन दरों में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी। | | |

रामलाल गुर्जर,
संयुक्त शासन सचिव।

176

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।